भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4832
जिसका उत्तर मंगलवार, 23 दिसम्बर, 2014 को दिया जाना है

हिन्दुस्तान फोटो फिल्म कंपनी का पुनरुद्धार

4832. डॉ. जे. जयवर्धन:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान फोटो फिल्म मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, तमिलनाडु का पुनरुद्धार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री जी. एम. सिद्देश्वर)

(क) और (ख): जी, नहीं। लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बीआरपीएसई) ने दिनांक 28.06.2013 को आयोजित अपनी बैठक में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स लिमिटेड (एचपीएफएल) के पुनरुद्धार की स्थिति के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। उसने नोट किया कि कंपनी के पुनरुद्धार के लिए विगत में अनेक प्रयास किए गए हैं किन्तु वे विफल रहे हैं। उसने यह भी नोट किया कि इस उद्यम को प्रबंधन के लिए तमिलनाडु सरकार को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी सफल नहीं हो सका, इसलिए यह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि भारी प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों के कारण कंपनी के मूल कार्यकलाप पूर्णतः अनुत्पादक हो गए हैं और हाल ही में विविधिकरण के विभिन्न प्रयासों के विफल हो जाने के कारण कंपनी को बंद करना एकमात्र तर्कपूर्ण समाधान प्रतीत होता है। बीआरपीएसई ने, अन्य बातों के साथ-साथ, एचपीएफएल के सभी कर्मचारियों के लिए 2007 नोशनल वेतनमान पर वीआरएस का कार्यान्वयन करने की सिफारिश की है।

बीआरपीएसई की सिफारिश के आधार पर सीसीईए ने दिनांक 28.02.2014 को आयोजित अपनी बैठक में निम्नलिखित का अनुमोदन किया:-

(i) लोक उद्यम विभाग के दिशा-निर्देशों में एकबारगी छूट के रूप में एचपीएफ के सभी कर्मचारियों के लिए बिना किसी बकाया राशि के 2007 वेतनमानों पर वीआरएस कार्यान्वित करना और 'स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के कार्यान्वयन तथा सांविधिक देयताओं' के लिए एकमुश्त प्रावधान में से योजनेतर ऋण के रूप में ₹181.54 करोड़ की राशि प्रदान करना।

(ii) माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा अंतरिम स्थगन आदेश खारिज किए जाने की शर्त के अध्यधीन वीआरएस देयताओं में से विगत में कर्मचारियों को दिए गए वसूली योग्य/समायोजन योग्य अग्रिमों/विशेष कार्य-निष्पादन भत्ता की उन सभी बकाया वसूलियों का निपटान करना जो डीपीई दिशा-निर्देशों के अंतर्गत शामिल नहीं है।

(iii) इस बढ़े हुए वीआरएस प्रस्ताव के कार्यान्वयन से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए/कंपनी को छोड़कर चले गए कर्मचारियों के संबंध में ऐसे वसूली योग्य/समायोजन योग्य अग्रिमों/विशेष कार्य-निष्पादन भत्ता की उन सभी बकाया वसूलियों को माफ करना है।

(iv) बीआरपीएसई द्वारा दिनांक 28.06.2013 को आयोजित अपनी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कंपनी को बंद करने के लिए आगे की कार्रवाई शुरू करना।

****